

डिक्री वमुकदमें ईव्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 25/2026

भविष्य पुत्र श्री प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी ढावां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

- वादी

वनाम्

1. जिनेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री देवकरण जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सावित्री देवी पत्नी श्री जिनेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. प्रदीप कुमार पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. उर्मिला देवी पत्नी श्री प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. रुचिका पुत्री श्री प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. आईना पुत्री श्री प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण


यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा प्रतिवादी 4 के पक्ष में छोड़े गए हिस्सा के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाकर वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 95/31 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 6.619 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.771 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.653 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 1.771 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 0.653 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 को 1.771 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्तानुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत् निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.2.2026 को जारी किया गया।




(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
हनुमानगढ़ जिला
राजस्थान